

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.8	निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों की श्रेणी (केटेगरी) में परिवर्तन.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी. ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेक्शन लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	7 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय प्रबंध निदेशक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.10	उच्च दाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शन के भार में परिवर्तन करने की स्वीकृत पत्र (सेक्शन लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. 132 एवं 220 के. व्ही.- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	7 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय. प्रबन्ध निदेशक
1.11	(अ) निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति. (ब) उच्च दाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी. ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी. अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	7 कार्य दिवस. 10 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री कार्यपालन यंत्री क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध निदेशक
1.12	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत् उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करना.	(अ) निम्न दाब एवं उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/ अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी. (ब) अति उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी. मुख्य अभियंता कार्या. प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी.	30 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक वितरण कंपनी. प्रबंध संचालक पारेषण कम्पनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.